भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3344
जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

एकपक्षीय सिविल और पारिवारिक न्यायालय मामले

3344. डॉ. अमर सिंह :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि सिविल और पारिवारिक न्यायालयों में ऐसे मामलों में एकपक्षीय आदेश पारित किए जा रहे हैं, जिनमें कोई पक्ष मानसिक बीमारी, बौद्धिक दिव्यांगता, गंभीर चिकित्सीय स्थिति अथवा उनके नियंत्रण से बाहर अन्य परिस्थितियों के कारण उपस्थित होने या अपने मामले का प्रभावी रूप से बचाव करने में असमर्थ है ;

(ख) क्या एकपक्षीय कार्यवाही करने से पूर्व ऐसे अनुपस्थित पक्षों की क्षमता का निर्धारण करने हेतु न्यायालयों को समर्थ बनाने के लिए कोई दिशानिर्देश या सुरक्षा उपाय विद्यमान हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे मामलों के संबंध में आंकड़े संकलित किए हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार का प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखने हेतु एकपक्षीय आदेश पारित किए जाने से पूर्व असुरक्षित व्यक्तियों के लिए संरक्षक, विधिक सहायता अधिवक्ता अथवा अन्य उपयुक्त प्रतिनिधित्व की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए विधि में संशोधन करने या निर्देश जारी करने का विचार है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : सिविल एवं कुटुम्ब न्यायालयों में एकपक्षीय कार्यवाही, **सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सिविल प्रक्रिया संहिता), कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984** तथा अन्य सुसंगत विधियों के उपबंधों द्वारा विनियमित होती है। सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन, न्यायालय तभी

एकपक्षीय कार्यवाही कर सकता है जब वह इस बात से संतुष्ट हो कि समन सम्यक रूप से तामील किया गया है और संबंधित पक्ष विहित प्रक्रिया के अनुसार उपस्थित होने में विफल रहा है।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सिविल प्रक्रिया संहिता) के अधीन पर्याप्त संविधिक सुरक्षा उपाय पहले से उपलब्ध हैं, जिनमें **(आदेश 9 नियम 13)** के अधीन एकपक्षीय डिक्री को निरस्त करने का उपबंध है, यदि अनुपस्थिति के लिए पर्याप्त कारण साबित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई पक्ष अस्वस्थ मस्तिष्क का है या मानसिक दुर्बलता के कारण अपने हितों की रक्षा करने में असमर्थ है, तो ऐसे व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के लिए, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता **(आदेश 32 नियम 15 सपठित नियम 3 और नियम 4)** में अंतर्विष्ट है, 'वाद मित्र' या अभिभावक के माध्यम से उपबंध किया गया है।

न्यायालय प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं लागू विधि के अनुसार अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हैं। इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा कोई पृथक रूप से दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

सरकार द्वारा ऐसे सिविल या कुटुम्ब न्यायालय मामलों में, जिनमें मानसिक बिमारी, बौद्धिक दिव्यांगता, गंभीर चिकित्सीय स्थितियों या अन्य नियंत्रण से परे परिस्थितियों से पीड़ित व्यक्तियों से संबंधित एकपक्षीय आदेश पारित हुए हों, उनका कोई केंद्रीकृत आंकड़ा रखा नहीं जाता है।

(घ) : विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन गठित विधिक सेवा संस्थान, पात्र व्यक्तियों को अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करते हैं तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करते हैं। वर्तमान में, इस संबंध में विधि में संशोधन करने या पृथक रूप से दिशा-निर्देश जारी करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।
